

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2015

क्रमांक एफ-1(बी)99/2015/बी-4/दोः भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश लोक

अभियोजन(राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. अनुसूची-एक में, प्रविष्टि क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमिक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

संख्यांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6	प्रशासकीय अधिकारी (अनुसचिवीय)	01	द्वितीय वर्ग	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे	--

2. अनुसूची-दो में पद "सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी" के पश्चात् निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह विभाग	मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा	प्रशासकीय अधिकारी (अनुसचिवीय)	1	-	100 प्रतिशत	-

3. अनुसूची-चार में, "सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी " पद के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अर्ह होने हेतु न्यूनतम अनुभव	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह विभाग	मध्यप्रदेश अभियोजन (राजपत्रित) सेवा	अधीक्षक / सहायक ग्रेड-1	अधीक्षक के पद पर 03 वर्ष का अनुभव तथा सहायक ग्रेड-एक के पद पर 05 वर्ष का अनुभव	प्रशासकीय अधिकारी (अनुसचिवीय)	तदैव

No. F-1(B)99/2015/B-4/2: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In Schedule-I, after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :

S.No.	Name of posts included in Service	Number of post	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	Administrative Officer (Ministrial)	1	Class-II	9300-34800 + 4200 Grade Pay	-

2. In Schedule-II, after the post "Assistant District Public Prosecution Officer", the following post and entries relating thereto shall be added, namely :

Name of Department	Name of Service	Name of Post	Number of duty posts	Percentage of the number of the duty posts to be filled		
				By direct recruitment	By promotion of the member of the service	By transfer of members from other service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"Home Department	Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Service	Administrative Officer (Ministrial)	1	-	100%	"-

In Schedule-IV, after the post "Assistant District Public Prosecution Officer", the following post and entries relating thereto shall be added, namely:

Name of Department	Name of Service	Name of the post from which promotion is to be made	Minimum Experience for being qualified for promotion	Name of the post to which promotion is to be made	Name of the members of the departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Home Department	Madhy Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Service	Superintendent / Assistant Grade-I	3 Years service experience for Superintendent and 5 years service experience for Assistant Grade-I	Administrative Officer (Ministrial)	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उप सचिव.